



झारखण्ड गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 543 राँची, गुरुवार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

अधिसूचना

सं०-1/(निदे०अभि०)-(नि०-मोहर्रिर)-14/2015-292/नि०-- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309
के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद द्वारा राज्य के सभी बंदोबस्त कार्यालयों में कार्यरत मोहर्रिर सेवा संवर्ग के लिए गठित झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।" के स्थान पर निम्न शब्द समूह प्रतिस्थापित किया जायेगा :- "आयोग को अधियाचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।"

3- मूल नियमावली के नियम 4 (क) ii को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"मोहर्रिर के पदो पर भर्ती निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड, राँची द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

कमल किशोर सोन
सरकार के सचिव।
